संस्थान में निम्न विषयों हेतु मानसेवी शिक्षकों का वरीयता सूचियॉ/पैनल तैयार किया जाना है :

(1) कम्प्यूटर विज्ञान (2) इलेक्ट्रॉनिक्स (3) रसायनशास्त्र (4) भौतिकशास्त्र (5) गणित (6) बॉयोटेक्नोलॉजी (7) क्लीनिकल न्यूट्रीशन एवं डायटेटिक्स (8) मनोविज्ञान (9) अर्थशास्त्र (10) अर्थशास्त्र (प्रबंध) (11) इतिहास (12) हिन्दी (13) अंग्रेजी (14) राजनीतिशास्त्र (15) समाजशास्त्र (16) भूगोल (17) फैशन डिजाइनिंग (18) वाणिज्य (19) फॉरेंसिक साइंस (20) बी.बी.ए. (21) बेचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन एवं स्पोर्टस (B.P.E.S) (22) कृषि (बी.एस.सी.) (23) एम.बी.ए.।

MPPLR

अर्हता एवं मापदंड :

(क) अभ्यर्थी ने संबंधित विषय/सह–विषय में न्यूनतम 55 प्रतिशत अंको के साथ स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त की हो (विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की अधिसूचना दिनांक 18.07.2018 की कंडिका 3.4 उपकंडिका (I) के अनुसार अनुसूचित जाति, जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग (नॉन क्रीमीलेयर) एवं शारीरिक अक्षमता धारी आवेदकों को न्यूनतम अर्हता अंको में 5 प्रतिशत की छूट रहेगी।) साथ ही –

(ख) अभ्यर्थी संबंधित विषय/सह–विषय में पी.एच.डी. धारक हो अथवा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग/सी.एस.आई.आर./आई.सी.ए.आर. द्वारा आयोजित राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा (नेट) में सफल रहा/रही हो अथवा अभ्यर्थी मध्यप्रदेश शासन द्वारा आयोजित सेट परीक्षा में सफल रहा/रही हो।

(ग) सह–विषयों का निर्धारण म.प्र., उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, भोपाल के पत्र क्रमांक एफ /1/0081/2022/SEC-1-38 (HED), Date 13.12.2022 एवं 22.12.2022 के अनुसार होगा।

(घ) विषयों की सूची में उल्लेखित :

क्रमांक 1– कम्प्यूटर विज्ञान हेतु M.Sc/M.E./M.Tech (Computer)/ MCA

क्रमांक 2– इलेक्ट्रॉनिक्स हेतु M.Sc. (Electronic)

क्रमांक 7– क्लीनिकल न्यूट्रीशन एवं डायटेटिक्स हेतु M.Sc./M.H.Sc. (Food and Nutrition)

क्रमांक 10– अर्थशास्त्र (प्रबंध) हेतु– M.B.E/M.B.A

क्रमांक 17– फैशन डिजाइनिंग हेतु M.Sc (Home Science) Clothing and Textiles or P.G. Degree in Fashion Designing/ Fashion Management

क्रमांक 19– फॉरेंसिक साइन्स हेतु – M.Sc. (Forensic Science)

क्रमांक 20– बी.बी.ए. हेतु M.B.A./M.Com.

क्रमांक 21– बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन एवं स्पोर्टस (B.P.E.S) - M.P.Ed./M.P.E एवं पीएच.डी.–शारीरिक शिक्षा में/नेट अथवा सेट शारीरिक शिक्षा में।

क्रमांक 23– एम.बी.ए. – एम.बी.ए. पीएच.डी. (प्रबंध)/प्रबंध में नेट अथवा सेट (ए.आई.सी.टी.ई. अनुसार)

- संबंधित पदों पर कार्य करने के लिए न्यूनतम शैक्षणिक अर्हताए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों में शिक्षकों और अन्य शैक्षिक कर्मचारियों की नियुक्ति हेतु न्यूनतम अर्हताएं तथा उच्चतर शिक्षा में मानकों के रख रखाव हेतु अन्य उपाय) संबंधित विनियम 2018 के अनुरूप/एआईसीटीई के मापदंड अनुसार वांछित है। वांछित योग्यता रखने वाले अभ्यर्थी इस व्यवस्था के अन्तर्गत आवेदन कर सकेंगे।

मानसेवी शिक्षकों के चयन हेतु गुणानुक्रम निर्धारण के अंक वितरण एवं अधिभार

शैक्षणिक सत्र 2025–2026 में अध्यापन की व्यवस्था हेतु संस्थान के विभिन्न विषयों में आवश्यकता अनुसार योग्य अभार्थियों की पैनल तैयार करने संबंधी गुणानुक्रम निर्धारण हेतु अंक वितरण एवं अधिभार संबंधी आवश्यक दिशा निर्देश–

गुणानुक्रम निर्धारण हेतु अंक वितरण एवं अधिभार :

1 संबंधित विषय/सह–विषय में स्नातकोत्तर स्तर पर प्राप्तांक प्रतिशत के 70 प्रतिशत अंक (अधिकतम 70 अंक)

2. विगत शैक्षणिक सत्र में शासकीय महाविद्यालय स्तर पर संबंधित विषय में किए गए अध्यापन कार्य हेतु अनुभव अधिभार गणना निम्न तालिका क्रमांक–1 अनुसार की जायेगी।

तालिका क्रमांक–1

कालखंड प्रति शैक्षणिक सत्र	500 अथवा अधिक कालखंड	250 से अधिक परन्तु 500 से कम कालखंड
महाविद्यालय की नैक ग्रेडिंग A,A+, A++	2 अंक	1 अंक
महाविद्यालय की नैक ग्रेडिंग B,B+, B++	1 अंक	0.5 अंक

3. एम.बी.ए. के लिए विगत शैक्षणिक सत्रों में महाविद्यालय में कोड–28 के अंतर्गत नियुक्त शिक्षकों/मध्यप्रदेश में स्थित म.प्र. शासन द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों में कार्यरत एवं पूर्व में कार्यरत शिक्षकों के अनुभव अधिभार की गणना निम्न तालिका क्रमांक–2 के अनुसार की जायेगी :

तालिका क्रमांक–2

कालखंड प्रति शैक्षणिक सत्र	500 अथवा अधिक कालखंड	250 से अधिक परन्तु 500 से कम कालखंड
महाविद्यालय/विश्वविद्यालय की नैक ग्रेडिंग A,A+, A++	2 अंक	1 अंक
महाविद्यालय/विश्वविद्यालय की नैक ग्रेडिंग B,B+, B++	1 अंक	0.5 अंक

4. अध्यापन अनुभव का अधिभार अधिकतम 5 शैक्षणिक सत्रों का (अधिकतम अधिभार 10 अंक) ही दिया जायेगा। संबंधित महाविद्यालयों के ऐसे अनुभव प्रमाण पत्र ही मान्य होंगे जिनमें व्याख्यानों की संख्या का स्पष्ट उल्लेख होगा। अभ्यर्थी ऑन लाइन आवेदन भरते समय महाविद्यालय का संबंधित सत्र का नैक ग्रेड बेवसाइट के माध्यम से सुनिश्चित कर लें। तदानुसार ही अधिभार अंको का क्लेम करें। दस्तावेज सत्यापन के दौरान नैक ग्रेड का प्रमाणीकरण प्रस्तुत करना होगा।

5. दस्तावेज सत्यापन विषय ज्ञान एवं अध्यापन अभिरुचि परीक्षण हेतु उच्च शिक्षा उत्कृष्टता संस्थान में मूल दस्तावेजों सहित उपस्थित होकर दस्तावेजों का प्रमाणिकरण/परीक्षण कराना होगा। दस्तावेजों के परीक्षण के पश्चात विषय विशेषज्ञों के समक्ष 20 अंको का साक्षात्कार होगा।

6. उपरोक्तानुसार प्राप्तांको को जोड़कर विषयवार अभ्यर्थियों की वरीयता/गुणानुक्रम सूचियाँ तैयार की जायेगी। इन वरीयता/ गुणानुक्रम सूचियों से आवश्यकतानुसार अध्यापन कार्य हेतु अभ्यर्थियों को मानसेवी शिक्षक के रूप में आमंत्रित किया जायेगा।

7. ऑनलाइन आवेदन भरते समय सही जानकारी भरी जाना आवेदक/अभ्यर्थी की जिम्मेदारी है। गलत जानकारी प्रस्तुत किये जाने पर आवेदन स्वत निरस्त माना जायेगा। इस संबंध में समस्त जानकारी समय–समय पर संस्थान की वेबसाईट पर ही जारी की जायेगी।

8. साक्षात्कार के लिये आमंत्रित किसी भी वर्ग के आवेदक को संस्थान की ओर से किसी भी प्रकार का टी.ए., डी.ए. देय नहीं होगा।

MPPLR